संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें
मध्य प्रदेश

क 5/विकास/सेल–1/2012/502 भोपाल, दिनांक 7/12/12

प्रति,

1. समस्त संभागीय संयुक्त संचालक स्वास्थ्य सेवायें
   मध्य प्रदेश
2. समस्त मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी
   मध्य प्रदेश
3. समस्त सिविल सर्जन सह मुख्य अस्पताल अधीक्षक
   मध्य प्रदेश

विषयः–शासकीय भवनों, सार्वजनिक स्थलों एवं परियोजनाओं आदि का नामकरण राष्ट्रीय स्तर के प्रसिद्व महापुरूषों के नाम करने हेतु गठित जिला स्तरीय समिति पुनर्गठन करता है।

संदर्भः–सा.प्र.वि. का पत्र क्र एफ 19–196/2003/1/4 दिनांक 28.6..2004

उपरोक्त विषयांतर्गत में सामान्य प्रशासन विभाग का संदर्भित पत्र (संलग्न) का अवलोकन करें जिसमें विभिन्न भवनों/संस्थाओं का नामकरण राज्य स्तर के प्रसिद्व महापुरूषों के नाम से किये जाने के संबंध में ।

उपरोक्त के संबंध में आपकी और लेख है कि भविष्य में जब भी किसी स्वास्थ्य संस्था का नाम राष्ट्रीय स्तर के प्रसिद्व महापुरूषों के नाम से करने की आवश्यकता होती है तो आप संदर्भित पत्र में दिये गये निर्देशों के अनुसार कार्यवाही सुनिश्चित् करें ।

यदि किसी स्वास्थ्य संस्थाओं का नाम पूर्व से किसी राज्य स्तर के प्रसिद्व महापुरूषों के नाम से है एवं यदि उसके बदले किसी अन्य नेता का नाम करना हो तो, ऐसे प्रकरणों में संदर्भित पत्र बिन्दु 4 में उल्लेखित अनुसार विस्तृत प्रंस्ताव स्वास्थ्य आयुक्त, के नाम से संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें को भेजेंगें ।

संचालक (वि/बी)
संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें
मध्य प्रदेश

पृ.क 5/विकास/सेल–1/2012/503. भोपाल, दिनांक 7/12/12

प्रतिलिपिः–

1. प्रंमुख सचिव, मध्य प्रदेश शासन, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, मंत्रालय, भोपाल की ओर सूचनार्थ प्रेषित ।
2. प्रमुख सचिव, मध्य प्रदेश शासन, सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय, भोपाल।
3. आयुक्त स्वास्थ्य, संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें, मध्य प्रदेश ।
4. संचालक चिकित्सा शिक्षा, सतपुडा भवन, मध्य प्रदेश।
5. समस्त डीन, शासकीय मेडिकल कॉलेज, मध्य प्रदेश।
6. समस्त संभाग आयुक्त (राजस्व) मध्य प्रदेश।
7. समस्त कलेक्टर, मध्य प्रदेश ।

संचालक (वि/बी)
संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें
मध्य प्रदेश

मध्यप्रदेश शासन
सामान्य प्रशासन विभाग
"मंत्रालय"
वल्लभ भवन, भोपाल

(7)

क्रमांक एफ 19–196/2003/1/4 भोपाल, दिनांक 28 जून 2004

प्रति,

शासन के समस्त विभाग
समस्त संभागायुक्त
समस्त कलेक्टर्स
मध्यप्रदेश

विषयः–शासकीय भवनों,सार्वजनिक स्थलो एवं परियोजनाओं आदि का नामकरण राष्ट्रीय स्तर के प्रसिद्व महापुरूषों के नाम करने हेतु गठित जिला स्तरीय समिति का पुनर्गठन बाबत।

संदर्भः–सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र कमांक एफ 19–31/1998/1/4 दिनांक 19 मई 1998 तथा परिपत्र कमांक एफ 19–196/2003/1/4 दिनांक 10 फरवरी 2004

शासकीय भवनों,सार्वजनिक स्थलो एवं परियोजनाओ आदि का नामकरण राष्ट्रीय स्तर के प्रसिद्व महापुरूषों के नाम करने हेतु इस विभाग के परिपत्र कमांक एफ 19–31/1998/1/4 दिनांक 19 मई 1998 द्वारा जिला स्तरीय समिति का राज्य शासन एतद द्वारा निम्नानुसार पुनर्गठन करता है।

1.जिले का प्रभारी मंत्री	अध्यक्ष
2.स्थानीय सांसद अथवना सांसद प्रतिनिधि	सदस्य
3.जिले क समस्त विधायक (चाहे उनमें से कोई सदस्य शासन में मंत्री भी क्यों न हो)	सदस्य
4.स्थानीय निकायो के अध्यक्ष/महापौर	सदस्य
5.विकास प्रधिकरण के अध्यक्ष (यदि कोई हो तो)	सदस्य
6.संबधित जिले के कलेक्टर	सदस्य संयोजक

2/ उपरोक्त सदस्यो के अतिरिक्त किसी उन्य संस्था के प्रतिनिधि, जिन्हें अध्यक्ष, उपरोक्त समिति से सम्बद्व करना चाहे,समिति के सदस्य होंगे।

मार्गदर्शी सिद्वांतः

1. समिति राष्ट्रीय स्तर के प्रसिद्व महापुरूषों के नाम पर ही भवन, संस्था या सार्वजनिक स्थल का नामकरण करने के लिये सक्षम होगी जो सर्वविदित होंगें।

2. समिति उन्हीं भवन,संस्था या स्थान7 का नामकरण करने हेतु सक्षम होगी जिनके नामकरण के लिए शासन के किसी विभाग, उपकम/ निगम या मण्डल को किसी अधिनियम अथवा नियम के अधीन नामकरण करने की शक्तियॉ प्रदत्त न हों।

..2

3. समस्त उन्ही मूलतः संस्था या स्थान का नामकरण करने के लिये सक्षम होगी जिनका नामकरण पूर्व में नही किया गया हो। पूर्व में किये गये नामकरण में परिवर्तन करने के लिए समिति सक्षम नही होंगी।

4. समिति द्वारा उस प्रकार के स्थानो के नामकरण के लिए एक बैठक आयोजित की जायेगी जिसमें का अंतिम निर्णय लिया जायेगा।

5. समिति द्वारा लिये गये निर्णय के संदर्भ में संबधित जिले के जिला कलेक्टर द्वारा उक्त प्रकार के भवन,संस्था एवं सार्वजनिक स्थल के नामकरण के बारे में अधिसूचना जारी की जायेगी।

4/ जिन प्रकरणो में पूर्व से किये गये नामकरण का परिवर्तन अथवा उपयुर्क्त समिति द्वारा किये गये नामकरण में परिवर्तन या किसी क्षेत्रीय स्तर के व्यक्ति विशेष के नाम पर नामकरण किया जाना है।, तो उन प्रकरणो में नाम परिवर्तन/नामकरण में उपर्युक्त गठित समिति सक्षम नही होगी। ऐसे प्रकरणो में सामान्य प्रशासन विभाग (कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा प्रशिक्षण विभाग) के ज्ञापन कमांक एम 8–39/88/9/49 दिनांक 21 अप्रैल 1989 कमांक 1158/993/1/4 दिनांक 29 अप्रैल 1993 एवं ज्ञापन कमांक एम 19–143/95/1/4 दिनांक 27 जनवरी 1996 के अनुसार शासन के संबधित प्रशासकीय विभाग को प्रस्ताव प्रेषित किये जायेंगे तथा समन्वय में मान मुख्यमंत्रीजी का अनुमोदन लेकर प्रशासकीय विभाग द्वारा नामकरण/नाम परिवर्तन की कार्यवाही की जावेगी।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार

(एस.एस.वानखड़े)
सचिव
मध्यप्रदेश शासन
सामान्य प्रशासन विभाग

पृ.कमांक एफ 19–196/2003/1/4 भोपाल, दिनांक 28 जून 2004

प्रतिलिपि:

1. मान.मुख्यमंत्रीजी के सचिव,मध्यप्रदेश शासन,भोपाल
2. निज सचिव,समस्त मंत्रीगण/राज्य मंत्रीगण,मध्यप्रदेश शासन
3. मुख्य सचिव के उपसचिव,मध्यप्रदेश शासन,भोपाल की और सूचनार्थ प्रेषित है।

(एस.एस.वानखड़े)
सचिव
मध्यप्रदेश शासन
सामान्य प्रशासन विभाग